न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी R 851-PBR-17

श्री लखन सिंह धाकड़ अधि.
द्वारा आज दि. 10/03/17 को
प्रस्तुत
10.3.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जयवीर सिंह परमार पुत्र श्री कुवंरजीत सिंह

निवासी– रतन पब्लिक स्कूल आरोन, जिला गुना (म.प्र.) ....आवेदक

बनाम

1– श्रीमेहंत ओमकारदास गुरू स्वं श्री रामनरेशदास जी महाराज निवासी– सनकादिक आश्रम आरोन जिला गुना म.प्र.

2– म.प्र.शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक तहसील आरोन जिला गुना ....अनावेदकगण

10.03.17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 राजस्व निरीक्षक महोदय आरोन, जिला गुना के क्रमांक 73/अ–12 /15–16 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत ।

— 2

श्रीमान् जी,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1– यहकि, प्रतिनिगरानीकर्ता क.1 द्वारा राजस्व निरीक्षक आरोन के समक्ष अपनी भूमि सर्वे क. 1237 रकवा 0.052 हैक्टर के संबंध में एक आवेदन पत्र सीमांकन हेतु लिये प्रस्तुत किया था। प्रतिनिगरानीकर्ता क.1 की भूमि से लगी हुई आवेदक की भूमि सर्वे क. 1194 रकवा 0.481 हैक्टयर स्थित है। इसलिये आवेदक प्रति निग. का सरहदी है आवेदक को सरहदी भूमि स्वामी होने के बाबजूद भी जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया, और नाही आवेदक को उक्त सीमाकन की कोई सूंचना दी गई एकपक्षीय बालाबाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 851–पीबीआर/17 जिला–गुना

	जयबीर सिंह आदि कार्यवाही तथा आदेश **महंत ओमकारदास एवं म0प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/18	1– यह निगरानी प्रकरण राजस्व निरीक्षक तहसील आरोन जिला गुना के प्रकरण कमांक 73/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष म0प्र0 भू0रा0 संहिता 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु सीमांकन कार्यवाही में विहित प्रकियाओं का पालन न करने तथा सीमांकन कार्यवाही अधिकारिता रहित कर्मचारी द्वारा किए जाने से संबंधित है। 2– प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री लाखन सिंह घाकड़ अधिवक्ता उपस्थित एवं अनावेदक कमांक 1 की ओर से श्री एस0पी0 धाकड़ तथा शासन की ओर से श्री अजय चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित। 3– प्रकरण में उपस्थित तथ्यों के संबंध में आवेदक एवं अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही से पूर्व आवेदक को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी और न ही सीमांकन में विधिक प्रकियाओं का पालन ही किया गया। यह भी कहा गया कि सीमांकन राजस्व निरीक्षक द्वारा न किया जाकर हल्का पटवारी द्वारा किया गया है जिसे सीमांकन करने की कोई अधिकारिता नहीं है क्योंकि हल्का पटवारी राजस्व अधिकारी नहीं है सीमांकन की अधिकारिता विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्व अधिकारी को है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मुझे बिना सूचना दिए किया गया सीमांकन आदेश विहित प्रकियाओं के विपरीत होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है, इसके अतिरिक्त उन्ही तथ्यों को दुहराया गया जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा। अनावेदक कमांक 1 के अधिवक्ता द्वारा	

प्रकरण क्रमांक निग0 851–पीबीआर/17 जिला–गुना

जयबीर सिंह आदि विरूद्ध महंत ओमकारदास एवं म0प्र0 शासन

अपने तर्क में कहा गया कि प्रकरण में आक्षेपित सीमांकन की कार्यवाही सही एवं विधिवत की गयी है जो न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य है तथा राजस्व निरीक्षक का प्रश्नाधीन आदेश स्थिर रखे जाने के अनुरोध के साथ निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक कमांक 2 के शासकीय अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में निगरानी मेमो की प्रति न मिलने का आक्षेप लेते हुए शासन हित में निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।

4– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि' सीमांकन कार्यवाही में सरहदी कृषकों को सूचना दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही सूचना पत्र की प्रति ही अभिलेख में उपलब्ध है जिससे यह तो स्पष्ट है कि सरहदी कृषको को सूचना पत्र जारी नहीं किए गये है। पंचनामा दिनांक 24.6.16 पर भी कहीं भी आवेदक के हस्ताक्षर नही है और न ही पंचनामा में उपस्थिति/अनुपस्थिति के संबंध में कोई टीप ही अंकित की गयी है। सीमांकन प्रतिवेदन जो पटवारी द्वारा तैयार किया गया है उसमें भी आवेदक की उपस्थिति में सीमांकन किये जाने का कोई उल्लेख नही किया गया है यहां यह तथ्य भी विचारणीय है कि सीमांकन प्रतिवेदन में यह भी अंकित नहीं किया गया है कि सीमांकन करने से पूर्व किसे स्थाई सीमांचिन्ह मानकर सीमांकन किया गया है। वहीं सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 24.616 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि सीमांकन कस्वा पटवारी द्वारा किया गया है न कि राजस्व निरीक्षक द्वारा। इस तथ्य की पुष्टि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन आदेश दिनांक 24.6.16 में यह अंकित किए जाने से होती है कि सीमांकन कस्वा पटवारी द्वारा कर दिया गया है अब प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। यहां यह भी विचारणीय बिन्दु है कि पटवारी को भू–राजस्व संहिता की धारा 129 में सीमांकन करने का अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में भी यह आक्षेपित सीमांकन कार्यवाही अधिकारिता विहीन है। ऐसी अधिकारिता विहीन सीमांकन कार्यवाही दिनांक 24.6.16 की राजस्व निरीक्षक द्वारा पुष्टि कर संहिता में निहित प्रावधानों के विपरीत कार्य किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही से ऐसा विदित होता है कि

प्रकरण क्रमांक निग0 851–पीबीआर/17 जिला–गुना

जयबीर सिंह आदि विरूद्ध महंत ओमकारदास एवं म0प्र0 शासन

या तो राजस्व निरीक्षक को अपने दायित्वों एवं कानून तथा विधिक प्रकियाओं का ज्ञान नहीं है या फिर उसके द्वारा जानबूझ कर उल्लंघन किया गया है जो भी हो दोंनों ही स्थितियों में यह कृत्य आपत्ति जनक होकर उचित नहीं है। उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में सीमांकन का आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.16 स्थिर रखे जाने योग्य नही है, उपरोक्त अधिकारिता विहीन कार्यवाही के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व निरीक्षक को नामांकित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि उसके द्वारा किन परिस्थितियों में अधिकारिता विहीन सीमांकन कार्यवाही की पुष्टि की गयी, इस संबंध में सीमांकन करने वाले पटवारी को भी नामांकित करें एवं उससे भी स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि उसके द्वारा किस प्रकार अधिकारिता के वाहर जाकर सीमांकन की कार्यवाही संपादित की। स्पष्टीकरण प्राप्त कर भविष्य के लिए सचेत करें कि वे भविष्य में इस प्रकार की अधिकारिता विहीन कार्यवाही न करें।

5– परिणामस्वरूप आक्षेपित आदेश दिनांक 24.06.16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे विहित प्रकियाओं का अनुसरण करते हुए संहिता की धारा 129 में वर्णित प्रावधानों के तहत सीमांकन हेतु प्रस्तावित भूमियों के सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना देकर समस्त हितवद्ध भूमि स्वामियों के समक्ष सीमांकन की कार्यवाही संपादित करें । साथ ही आवेदक एवं अनावेदकगण को आदेशित किया जाता है कि वे तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर यदि आवश्यक समझे तो सीमांकन की कार्यवाही करावे तथा सीमांकन की कार्यवाही में सक्षम अधिकारियो का सहयोग करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे । प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य